

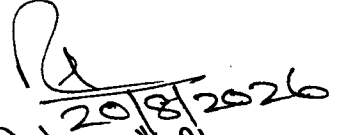
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ आदेश ॥

पटना-15, दिनांक-20/8/2026

सं0सं0-12/प्रतिनियुक्ति-2402/2026-सा0प्र0-15212/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं0-13504, दिनांक-24.07.2026 द्वारा श्रावणी मेला, 2026 के अवसर पर काँवरिया श्रद्धालुओं को विभिन्न प्रकार की सुविधायें प्रदान करने एवं विधि-व्यवस्था संधारण तथा नियंत्रण कक्ष के सुगम संचालन हेतु कतिपय पदाधिकारियों को दिनांक-30.07.2026 से दिनांक-28.08.2026 तक भागलपुर एवं बाँका जिला में प्रतिनियुक्त किया गया है।

2. उक्त आदेश के क्रमांक-7, 8, 9, 24 25 एवं 28 पर अंकित पदाधिकारियों क्रमशः श्री शशि कुमार, सुश्री प्राची कुमारी, श्री रवि कुमार, श्रीमती प्रिया कुमारी, श्री कमल किशोर, एवं श्री अभिषेक सिंह को उक्त प्रतिनियुक्ति से विमुक्त किया जाता है एवं क्रमांक-3 पर अंकित पदाधिकारी सुश्री पूजा कुमारी को उक्त प्रतिनियुक्ति से विमुक्त करते हुए उनके स्थान पर श्री भास्कर, अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी, मंझौल, बेगूसराय (मो0नं0-9031671618/9973532972) को आदेश निर्गत की तिथि से दिनांक-28.08.2026 तक उक्त कार्य के लिए बाँका जिला में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

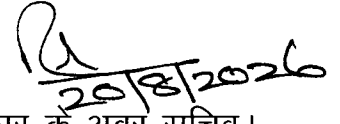
3. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, बाँका के समक्ष अपना योगदान देकर जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करेंगे तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त स्वतः अपने पदस्थापन वाले पद पर योगदान कर लेंगे।


(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-12/प्रतिनियुक्ति-2402/2026-सा0प्र0-15212/पटना, दिनांक-20/8/2026

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।